13 प्रस्ताव पारित किए हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कुंभ मेला के लिए। इनमें अखाड़ों को 60 एकड़ भूमि आंवटित करने और वैरागी कैंप को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग प्रमुख है। इन मसलों पर परिषद के पदाधिकारी गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे।

न्यूज गैलरी

पंजाबी जागरण के पूर्व संपादक शंगारा सिंह भुल्लर नहीं रहे

चंडीगढ़ : पंजाबी जागरण के पहले संपादक शंगारा सिंह भुल्लर (74) का बुधवार शाम बीमारी के कारण निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी अमरजीत कौर भुल्लर, बेटे चेतन पाल सिंह और रमनीक सिंह हैं। वह कुछ समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत तमाम लोगों ने भुल्लर के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। (राब्यू)

शंगारा सिंह भुल्लर। फाइल फोटो

अकबर मामले में निजी टिप्पणी न करे मीडिया : कोर्ट

नई दिल्ली : पूर्व मंत्री एमजे अकबर की तरफ से पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अकबर की तरफ से वकीलों की टीम ने अदालत को बताया कि एक पोर्टल की मीडिया कर्मी इस मामले को लेकर निजी टिप्पणी कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अदालत ने कहा कि मीडिया को निजी टिप्पणी से बचना चाहिए। इस मसले को लेकर अदालत के बाहर पोर्टल की रिपोर्टर और वकीलों में बहस भी हो गई। (जासं)

दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को आठ दिन में सुनाई सजा

रुद्रप्रयाग : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले की सुनवाई मात्र आठ दिन में करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को सात वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने बताया कि 16 अक्टूबर को पंचायत चुनाव में मतदान के लिए दादी के साथ आई एक नौ वर्षीय बच्ची से गांव के ही अधेड़ तिब्बू लाल ने खेत में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया था। शोर मचाने पर वहां से गुजर रही एक महिला ने किसी तरह बच्ची को बचाया। पीड़िता ने घर जाकर दादी को सारी बात बताई। दादी ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 30 नवंबर को पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले में अदालत में छह गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। (जासं)

मुंबई में 20 हजार के प्याज चोरी के आरोप में दो गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई पुलिस ने डोंगरी मार्केट में दो दुकानों से 20 हजार रुपये से ज्यादा के प्याज चोरी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों दुकानों से कुल 168 किलो प्याज चुरा ली गई थी। यह घटना पांच और छह दिसंबर की दरमियानी रात में हुई। पुलिस ने एक बयान में कहा है, 'मुंबई पुलिस ने डोंगरी थाने में आइपीसी के अनुच्छेद 379 के तहत प्याज चोरी का मामला दर्ज किया है। चोरी गए कुल 168 किलो प्याज की कीमत 20,160 रुपये के आसपास आंकी गई है।' करीब 112 किलो अकबर शेख की दुकान से और इमरान शेख की दुकान से 56 किलो प्याज चोरों ने चुरा ली। (एएनआइ)

कॉल सेंटर की आड़ में विदेशी नागरिकों से ठगी, सात गिरफ्तार

कोलकाता : बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित सॉल्टलेक में कॉल सेंटर की आड़ में विदेशी नागरिकों से ठगी के आरोप में सीआइडी ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी मंगलवार रात की गई। इसके पास से कई कम्प्यूटर, डिस्क, मोबाइल फोन और डेटा जब्त किया गया है। डीआइजी सीआइडी (विशेष) मिथेस जैन ने बताया कि जो ठगों का मुख्य निशाना कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका आदि देशों के नागरिक होते थे। यहां रहने वाले जो लोग कम्प्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे या टेक्नोलॉजी को लेकर जिनका ज्ञान कम होता था, उन्हीं लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। आरोपित विभिन्न पते से खुद के लिंक भेजने थे। खुद ही समस्या पैदा करते थे और उसके निवारण करने के नाम पर रुपये ऐंठ लिया करते थे। कुछ समय में ही इन लोगों ने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। (जासं)

आइआइटी के छात्र बीच में बदल सकेंगे कोर्स

जागरण संवाददाता, वाराणसी

एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की आइआइटी से हजारों छात्रों ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। इसके लिए कठिन कोर्स को जिम्मेदार ठहराया गया। इस समस्या को हल करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आइआइटी छात्रों के लिए एक प्रस्ताव दिया है। इसके शीघ्र अमल में आने की संभावना है।

लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक पिछले पांच साल में देशभर की आइआइटी से 7248 छात्रों ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। यह गंभीर हालत देश के सबसे अहम संस्थान की है। इसके पीछे सबसे जिम्मेदार कारक कोर्स के बीच में ही रुचि का न होना या उसमें अपेक्षा अनुरूप प्रदर्शन न कर पाना है।

इस समस्या को लेकर आइआइटी बीएचयू के छात्रों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ड्राप आउट की समस्या बीटेक में नहीं बल्कि एमटेक कोर्स में सबसे ज्यादा है। यहां पर लगभग दो से तीन फीसद छात्र ड्राप आउट कर जाते हैं क्योंकि इसमें अध्ययन करने वाला छात्र कोर्स पूरा करते-करते किसी दूसरे क्षेत्र में सफल हो जाता है। देश की आइआइटी में अभी यह व्यवस्था है कि अगर आपको बीटेक करते वक्त बीच में ही अपनी ब्रांच बदलनी हो तो पहले सेमेस्टर के बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक के तीसरे साल में छात्र अगर चाहें तो वे इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री में भी अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। इसमें बीटेक व एमटेक दोनों ही कोर्स समाहित होते हैं।

एग्जिट ऑप्शन पर हो रहा विचार: जो छात्र बीटेक के पाठ्यक्रम से परेशान या ऊब जाते हैं तो वे बीएससी इंजीनियरिंग या किसी अन्य कोर्स में अपना दाखिला करा सकते हैं। सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है।

> आइआइटी बीएचयू में इस तरह की कोई भी समस्या सामने नहीं आई है। न ही इस तरह का कोई मामला हमारे संज्ञान में अभी तक है।
>
> **-प्रो. प्रमोद कुमार जैन निदेशक, आइआइटी बीएचयू**

कानपुर में पीएम की गंगा बैठक का होगा बड़ा संदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- गंगा में बैठक के जरिये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी कमर कसने का संकेत
- प्रधानमंत्री 14 दिसंबर को जा रहे हैं कानपुर

यह सहज ही समझा जा सकता है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर की प्रस्तावित यात्रा को लेकर राज्य सरकार और अफसरों में कितनी अफरा-तफरी होगी। जिस तरह आनन-फानन में सब कुछ दुरुस्त दिखाने के लिए काम किए जा रहे हैं वह इसका साक्ष्य है। सच्चाई तो यह है कि शुरुआत में प्रधानमंत्री की कानपुर यात्रा को लेकर अफसरों में उत्साह नहीं दिख रहा था। टालने की कोशिश हुई ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संकोच बहुत ज्यादा था। बहरहाल जनजागरण के जरिये स्वच्छता अभियान को सिरे चढ़ा चुके प्रधानमंत्री यह तय कर चुके थे कि गंगा की सफाई भी तभी परवान चढ़ेगी जब वह खुद इसके लिए उतरेंगे। दरअसल कानपुर का चुनाव ही इसलिए किया गया, क्योंकि गंगा यहीं सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। माना जा सकता है कि यह शुरुआत है। प्रधानमंत्री अब खुद गंगा की निगरानी भी रखेंगे और जरूरत हुई तो ऑन स्पॉट बैठकें भी करते रहेंगे।

नरेंद्र मोदी। फाइल

प्रधानमंत्री के इस निर्णय के पीछे पृष्ठभूमि है। साढ़े पांच साल पहले मोदी जब वाराणसी से नामांकन करने गए थे तो कहा था कि 'मुझे गंगा माता ने बुलाया है।' दरअसल यह संकल्प था कि वह गंगा की पीड़ा अब दूर करेंगे। 2014 में सरकार बनते ही उन्होंने नमामि गंगे के नाम से योजना शुरू कर तत्काल बड़ी राशि भी आवंटित कर दी थी। पहले उमा भारती को इसकी जिम्मेदारी थी और जब लगा कि कार्य अपेक्षा अनुरूप सिरे नहीं चढ़ रहा है तो नितिन गडकरी जैसे अनुभवी मंत्री को लगाया। पिछले कुछ वर्षों में जाहिर तौर पर काम बढ़ा है, लेकिन तय समयसीमा में काम पूरा करने के आदी प्रधानमंत्री इससे संतुष्ट नहीं हैं। वह इसी कार्यकाल में गंगा को किया गया वादा पूरा करना चाहते हैं, जहां गंगा अपने गौरव में दिखे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने कानपुर का चुनाव किया जहां गंगा का पानी आचमन तो दूर नहाने लायक भी नहीं माना जाता है। टैनरी को हटाने और दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम बहुत गति नहीं पकड़ पाया, इस काम में लगाए गए अफसरों का उत्साह कभी भी परिलक्षित नहीं हुआ। सूत्रों की मानें तो पीएमओ को अहसास होने लगा था कि कहीं न कहीं सुस्ती है और वह शिथिलता तभी जाएगी जब प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरेंगे।

बताते हैं कि इस क्रम में प्रदूषित करने वाली फैक्ट्रियों को पूरी तरह नियम-कायदे की हद में लाने और जहां तक संभव हो उसे गंगा से दूर स्थापित करने की भी कोशिश होगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी संयंत्रों को चालू किया जाएगा, लेकिन गंगा के किनारे बसे लोगों को विस्थापित नहीं किया जाएगा। उन्हें केवल जागरूक बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गंगा स्वच्छ रहे। दरअसल पूरी कवायद है कि कानपुर और उन्नाव से आगे भी गंगा का पानी उतना निर्मल रहे जितना ऊपर से आता है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने कानपुर में गंगा के बीच ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक करने का निर्णय लिया है वह संकेत भी है कि सभी राज्यों को उचित कदम उठाने होंगे। केवल कानपुर के सिर पर ठीकरा फोड़कर बचा नहीं जा सकता है। अभी सरकार के महज छह महीने पूरे हुए हैं और प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही ऑन स्पॉट बैठक करने का निर्णय लेकर स्पष्ट कर दिया है कि अब देरी उन्हें बर्दाश्त नहीं है।

अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा विचार

सुनवाई ▶ संविधान पीठ में पांचवें सदस्य के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना हुए शामिल

याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत पर होगा निर्णय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को विचार करेगा। कोर्ट तय करेगा कि याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत है कि नहीं। कुल 18 याचिकाएं गुरुवार की सूची में सुनवाई के लिए लगी हैं। इस बीच बुधवार को निर्मोही अखाड़ा ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कोर्ट से कुछ पहलुओं पर फैसले को स्पष्ट करने का अनुरोध किया है।

याचिकाओं में कोर्ट से नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है। नौ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए अयोध्या में पूरी विवादित जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दी थी। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था। फैसले के खिलाफ कुल 19 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिनमें से 18 गुरुवार को विचार के लिए लगी हैं। नौ नवंबर का फैसला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया था।

सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक पुनर्विचार याचिकाओं पर वही पीठ विचार करती है जिसने मूल फैसला सुनाया है। इस मामले में जस्टिस रंजन गोगोई सेवानिवृत हो चुके हैं, इसलिए पीठ में पांच न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने के लिए जस्टिस संजीव खन्ना को शामिल किया गया है। पुनर्विचार याचिका पर फैसला देने वाले न्यायाधीश सर्कुलेशन के जरिये चैंबर में विचार करते हैं। चैंबर में फाइल और रिकार्ड देखकर अगर कोर्ट को लगता है कि मामले पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत है, तब कोर्ट याचिका पर नोटिस जारी करता है और मामले को सुनवाई के लिए खुली अदालत में लगाने का आदेश देता है। कोर्ट के नियम के मुताबिक किसी भी फैसले पर कोर्ट पुनर्विचार तब करता है, जबकि फैसले में साफ तौर पर कानूनी या तथ्यपरक खामी हो।

अयोध्या मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने वाले पक्षकारों में कुल नौ मूल पक्षकारों की ओर से पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं। बाकी याचिकाएं ऐसे लोगों ने दाखिल की हैं जो मूल मुकदमे में पक्षकार नहीं थे। हिंदू पक्ष की ओर से हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

याचिका में पक्षकारों की मांग

हिंदू महासभा की याचिका में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का विरोध किया गया है। जबकि निर्मोही अखाड़ा ने अपनी याचिका में कोर्ट से मांग की है कि वह ट्रस्ट में उसकी भूमिका और प्रतिनिधित्व के बारे में स्थिति स्पष्ट करे। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि निर्मोही अखाड़ा को ट्रस्ट में उचित भूमिका और उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेकिन उसमें भूमिका और प्रतिनिधित्व की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही अखाड़ा ने फैसले में उसका शैबियत राइट्स (सेवा-पूजा का अधिकार) नकार दिए जाने के अंश को चुनौती दी है। अखाड़ा ने कहा है कि उसका सेवा-पूजा का अधिकार न माना जाना गलत है। मुकदमे में किसी भी पक्षकार ने उसके शैबियत राइट्स को चुनौती नहीं दी थी। सुनवाई के दौरान समय की कमी के कारण उन्हें इस मुद्दे पर साक्ष्य रखने और तर्क पेश करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। मुस्लिम पक्ष ने पुनर्विचार याचिकाओं में कहा है कि जब कोर्ट ने माना है कि विवादित ढांचा मस्जिद थी तो फिर उनका हक नकारने का फैसला ठीक नहीं है।

डोभाल ने उप्र की सराहना की

नई दिल्ली, एएनआइ : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य प्रशासन की सराहना की। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को डोभाल ने लिखे अपने पत्र में कहा है, 'अयोध्या फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में स्थिति संभालने में उल्लेखनीय प्रयासों के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। राज्य के सभी अंगों और केंद्र सरकार के साथ सहयोग बनाए रखने और शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में पुलिस के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं।'

1484 सैन्य अधिकारी दे चुकी है गया की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी

जागरण संवाददाता, गया

गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए) के बंद करने के रक्षा मंत्रालय के फैसले से सामाजिक, राजनीतिक, किसान-मजदूर संगठनों, बुद्धिजीवी और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। अपने-अपने स्तर से सभी विरोध दर्ज करा रहे हैं। यह बिहार की एकमात्र ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने 1976 में गया में सेना सेवा कोर केंद्र उत्तर (एएससी नॉर्थ) की स्थापना की थी। उस वक्त से लेकर अब तक इस स्थल पर पर्याप्त संख्या में पौधारोपण किया गया। इससे गया शहर का जलवायु, पर्यावरण में काफी बदलाव हुआ। प्राकृति आपदा, सुरक्षा के साथ-साथ अर्थव्यवस्था, व्यवसाय एवं सेना में नौजवानी के बहाली आदि में काफी सुविधा प्राप्त हुई। यहां से पिछले आठ वर्षों में सेना को 1484 अधिकारी मिले। 2011 में एएससी नॉर्थ को हटाकर ओटीए की स्थापना की गई। एएससी सेंटर नॉर्थ को यहां से बेंगलुरु भेजा गया। इसी तरह अब ओटीए गया को बंद कर इसे देहरादून और चेन्नई स्थानांतरित करने की तैयारी चल रही है।

800 के बेरोजगार होने का खतरा : ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक प्रो. विजय कुमार मिट्ठू ने रक्षा मंत्री को पत्र भेजकर इसे रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसे रहते हुए दूसरे रेजीमेंट के जवानों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। भेजे गए पत्र में 11 बिंदुओं का जिक्र किया है। इसमें कहा गया है कि ओटीए स्थानांतरण होने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 800 लोग बेरोजगार होंगे। इससे यहां नागरिक व व्यवसाय जुड़ा हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण पर पुनर्विचार किया जाए।

आठ सौ करोड़ हुए थे खर्च : 2017 की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट जनरल बीएस नेगी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि यहां तैयार होने वाले आफिसर्स को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे देश के अलग-अलग क्षेत्र में कुशल नेतृत्व प्रदान कर सकें। यहां भारत ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, वियतनाम, भूटान जैसे देशों के युवकों को भी प्रशिक्षण देकर आफिसर्स के लिए तैयार गया था। इसे सशक्त, समृद्ध और बेहतर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 800 करोड़ रुपये खर्च किए थे। फायरिंग रेंज, लांग रेंज सहित अन्य सभी तरह की सुविधाओं से सुसज्जित किया गया था। ओटीए का परिसर प्राकृतिक संसाधनों से आच्छादित व गया अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से सटा है। दो दिशा से पहाड़ों से घिरे होने के कारण यह अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बेहतर माना जाता है। शूटिंग रेंज, गोल्फ रेंज की आदि की सुविधा ओटीए परिसर के पूरब में है, जबकि अन्य प्रशिक्षण आतंरिक हिस्से में दिया जाता है। एयरपोर्ट नजदीक होने के कारण फ्लाइंग प्रशिक्षण की सुविधा भी यहां उपलब्ध है।

सिख लाइट इंफेंटरी सेंटर के आने की चर्चा जोरों पर

सूत्र बताते हैं कि गया में ओटीए के बंद होने के बाद विशाल भूखंड खाली नहीं रहेगा बल्कि सिख लाइट इंफेंटरी सेंटर, फतेहगढ़ (उत्तर प्रदेश) को लाया जाएगा। हालांकि, अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

माल्या को दिवालिया घोषित कर संपत्ति जब्ती की मांग

लंदन, प्रेट्र : भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के मामले में स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों ने लंदन कोर्ट से दिवालिया घोषित कर उसकी संपत्ति जब्त कराने की मांग की है। माल्या इन भारतीय सरकारी बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा लेकर फरार हो चुका है और कई वर्षों से ब्रिटेन में रह रहा है। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

न्यायाधीश माइकेल ब्रिग्स की अध्यक्षता वाली कोर्ट की बेंच बैंकों की याचिका पर सुनवाई कर रही है। यह याचिका 2018 में दायर की गई थी। माल्या ने बैंकों से यह कर्ज बंद हो चुकी अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था। बैंकों की ओर से पेश वकील मर्सिया शेकरडेमियां ने कहा, हम अपने कर्ज से कम धनराशि स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा हम क्यों करें ? कोर्ट में यह सवाल माल्या की ओर से यह प्रस्ताव आने के बाद उठा कि भारत और दुनिया भर से जब्त माल्या की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। इसलिए अब मामला चलाए जाने की जरूरत नहीं है। बैंकों की ओर से बताया गया कि जब्त संपत्ति का मूल्यांकन उनके दिए कर्ज से कम है। इसलिए ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

बैंकों ने फ्रांस के एक विला, ब्रिटेन में वर्जिन द्वीप और अन्य स्थानों की संपत्ति, कैरेबियाई देश सेंट किट्स एंड नेविस में मौजूद अचल संपत्ति और इंडियन इंप्रेस सुपरयाट की जब्ती के लिए आदेश पारित करने की मांग की है। बैंकों की वकील ने कहा, माल्या की संपत्ति को हम उनके आभासी मूल्य के आधार पर स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि उनमें से कई संपत्तियां निष्प्रयोज्य या जर्जर हो चुकी हैं। भारत में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की उल्लेख करते हुए माल्या के वकीलों ने कहा कि उनके मुवक्किल की बकाएदारी से ज्यादा संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, इसलिए कोर्ट से ऐसे किसी की आदेश की जरूरत नहीं है। इसलिए बैंकों की याचिका खारिज की जाए।

> **लंदन कोर्ट में भारतीय बैंकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित**

पांच माह से चीन की हिरासत में पंजाब का मर्चेंट नेवी अफसर

जासं, जगराओं (लुधियाना) : भारतीय मर्चेंट नेवी के अफसर जगबीर सिंह पांच माह से चीनी पुलिस की हिरासत में हैं। मुंबई की मारविन कंपनी का शिप लेकर गए पांच अन्य क्रू सदस्य तो रिहा हो गए, लेकिन जगबीर अब भी नहीं लौटे हैं। परिजनों के मुताबिक चीन रवानगी से पहले कंपनी ने जगबीर को बताया था कि सभी आवश्यक कागजात पोर्ट पर सौंपे जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचते ही चीन की पुलिस ने शिप को घेरे में लेकर स्टाफ को हिरासत में ले लिया। जगबीर पूरे दस्तावेज नहीं दिखा सके। 31 वर्षीय जगबीर सिंह जगराओं के गांव चीमा के अकाली सरपंच परमिंदर सिंह के बेटे हैं।

परिवार ने पीएम और विदेश मंत्री से की अपील : परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विदेश मंत्री एस. जयशंकर से हस्तक्षेप की अपील की है। जगबीर के पिता सरपंच परमिंदर सिंह ने बताया कि जगबीर उनका इकलौता बेटा है। उसने 2009 में मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी। इसी साल उसने मारविन कंपनी ज्वाइन की थी।

सैनिक स्कूल में शिक्षक ने छह माह में 12 बच्चों से किया कुकर्म

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के दोरासर स्थित सैनिक स्कूल में तैनात एक शिक्षक ने विगत छह माह के दौरान एक दर्जन बच्चों के साथ कुकर्म किया। कुकर्म करने के बाद शिक्षक उन्हें किसी को बताने पर जान से मारने या परीक्षा में फेल करने की बात कह कर धमकाता रहा। सभी पीड़ित बच्चे दस से बारह साल की उम्र के हैं।

मामले का पर्दाफाश तब हुआ, जब एक पीड़ित बच्चे ने पिछले दिनों स्कूल की शिकायत पेटी में अपना शिकायती पत्र डाला। मामला स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंचा तो उन्होंने सात दिसंबर को शिक्षक रवींद्र सिंह के खिलाफ झुंझुनूं के सदर थाने में मामला दर्ज कराया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपित शिक्षक रवींद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पॉक्सो में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर रहे झुंझुनूं के पुलिस उप अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया कि आरोपित शिक्षक झुंझुनूं के ही जयपहाड़ी का रहने वाला है। उसका परिवार बीकानेर में रहता है। उसकी पत्नी भी शिक्षिका है। आरोपित शिक्षक वर्तमान में दोरासर गांव स्थित स्कूल कैंपस में ही रहता है और यहीं पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि बच्चों ने पहले भी इस बाबत शिकायत पेटिका में पत्र डाला था। लेकिन शिक्षक ने उसे गायब कर दिया था। आरोपित शिक्षक को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल : इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। मामला सात दिसंबर को दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस ने आरोपित शिक्षक को 10 दिसंबर को गिरफ्तार किया। मामला सार्वजनिक होने पर हंगामा होने के भय से पुलिस ने इस प्रकरण को दबाए रखा। न तो स्कूल जाकर अन्य शिक्षकों से पूछताछ की और न ही पीड़ित बच्चों से बात की। बुधवार को स्कूल के ही शिक्षकों ने जब पूरे प्रकरण की जानकारी स्थानीय लोगों को दी तो मामला सार्वजनिक हुआ।

जम्मू-कश्मीर के सैन्य प्रतिष्ठान व आयुध डिपो के आसपास निर्माण पर रोक

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर में अब प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों और आयुध डिपुओं के आसपास 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर कोई पहले से ही भवन या इमारत मौजूद है तो उसका मालिक मरम्मत भी नहीं करा सकेगा। अलबत्ता, जिला प्रशासन और संबंधित सैन्य अधिकारियों की अनुमति के आधार पर निर्माण या मरम्मत की जा सकती है।

श्रीनगर और कुपवाड़ा जिला प्रशासन ने हाल ही में इस संदर्भ में वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट (वोडा), 1903 के तहत इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचनाओं को भी जारी कर दिया है। जल्द ही जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों में भी यह पाबंदी लागू हो जाएंगी। राज्य गृह विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि यह पाबंदी सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है। यह नियम पूरे भारत में लागू है। वहीं श्रीनगर स्थित सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम न छापने पर कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरह की पाबंदी को 2 जुलाई 2004 को एसआरओ-96 के तहत लागू करने का प्रयास किया गया था।

उपलब्धि

अंतराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस पर विशेष डाक कवर रिलीज, आइपीएस अधिकारी अपर्णा सातों महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर भारत का झंडा लहराने वाली प्रथम पुलिस अधिकारी बनी थीं

अपर्णा के दक्षिणी ध्रुव के अभियान पर डाक टिकट जारी

जागरण संवाददाता, देहरादून

दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली आइपीएस अधिकारी और डीआइजी (आइटीबीपी) अपर्णा कुमार के सम्मान में डाक विभाग ने विशेष डाक कवर जारी किया है। सीमाद्वार स्थित आइटीबीपी परिसर में अंतराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसका अनावरण किया। उन्होंने अपर्णा को न केवल महिला सशक्तिकरण, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मिसाल बताया। बता दें जून 2019 में अपर्णा कुमार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का में स्थित सर्वोच्च चोटी माउंट डेनाली पर तिरंगा फतह करने के साथ ही सातों महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर भारत का झंडा लहराने वाली प्रथम पुलिस अधिकारी बनी थीं। 13 जनवरी 2019 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम आइपीएस अधिकारी होने का गौरव भी उन्हें ही प्राप्त है। उनका अगला लक्ष्य 2020-21 में उत्तरी ध्रुव में तिरंगा लहराकर एक्सक्लूसिव क्लब में प्रवेश करना है, इस कामयाबी के बाद वह इस क्लब में पहुंचने वाली पहली महिला सिविल सर्वेंट व आइपीएस अधिकारी बन जाएंगी। हाल ही में उन्हें तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक विशेष डाक कवर रिलीज किया। यह उनके दक्षिणी ध्रुव के अभियान पर आधारित है।

अपर मुख्य सचिव ने अपर्णा को बधाई देते हुए कहा कि उनकी इस सफलता से हम सभी गौरान्वित हैं। अपर्णा ने दिखा दिया है कि बेटियां की किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने आइटीबीपी की भी जमकर प्रशंसा की। कहा कि बेहद सीमित संसाधनों में आइटीबीपी बेहतर कार्य कर रही है। खासकर आपदा के समय। निदेशक डाक विभाग सुनील राय ने कहा कि अपर्णा ऐसी लीडर हैं, जो अपने फॉलोवर नहीं, बल्कि लीडर तैयार करती हैं।

संघर्षों ने दिया बढ़ते रहने का हौसला : बंगलुरु निवासी अपर्णा ने जिंदगी में तमाम-उतार चढ़ाव देखे हैं। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया था, ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर आ गई। बताती हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी रहीं मां अश्विनी ने उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी।

यहां फहराया तिरंगा : अपर्णा कुमार ने जिन शिखर पर झंडा फहराया है, उनमें माउंट एवरेस्ट (एशिया), माउंट किलिमंजारों (तंजानिया, अफ्रीका), माउंट एल्ब्रस (यूरोप), कार्सटेंस पिरामिड (इंडोनेशिया), विन्सन मैसिफ (अंटार्कटिका), माउंट एकांकागुआ (दक्षिणी अमेरिका), माउंट डेनाली (अलास्का) शामिल हैं। वह दक्षिणी ध्रुव पर भी तिरंगा फहरा चुकी हैं। अब उनका अगला लक्ष्य उत्तरी ध्रुव है।

दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आइपीएस अफसर अपर्णा कुमार की उपलब्धि पर बुधवार को देहरादून में डाक टिकट जारी किया गया। आइटीबीपी के परिसर में अंतरराष्ट्रीय माउंटेन दिवस पर आयोजित समारोह में डाक टिकट जारी करते (बाएं से) उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आइटीबीपी के पूर्व सलाहकार सोनम पल्जोर, उत्तरी फ्रंटियर मुख्यालय के महानिरीक्षक नीलाभ किशोर और डीआइजी अपर्णा कुमार। **जागरण**

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, सरल हो एफआइआर की भाषा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी ह